राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–5) विभाग

क्रमांकः प0 9(8)कार्मिक / क–5 / 90   जयपुर, दिनांक 22/09/2009

1–समस्त सम्भागीय आयुक्त।
2–समस्त जिला कलेक्टर्स।

:– **आदेश** –:

विषयः–   आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों में, तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के संबंध में प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु अनुदेश

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 12) में पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण निर्दिष्ट किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11(164)आर.एण्ड पी. / सा.न्या.अ.वि. / 07 / 47209 दिनांक 25.8.2009 के द्वारा आर्थिक पिछड़े वर्ग के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

अतः उक्त नवीन अधिनियम एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को उनके आर्थिक पिछड़े वर्ग का होने का प्रमाण पत्र जारी करने के लिये संलग्न–परिशिष्ठ 'क' पर उल्लेखित अधिकारी प्राधिकृत होगे ।

अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उपरोक्त वर्णित अधिसूचना में उल्लेखित आर्थिक पिछडे वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण करने के उपरांत ही आर्थिक पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र (प्रपत्र संलग्न – परिशिष्ठ 'ख') जारी करना सुनिश्चित करें।

शासन सचिव

कृ0पृ0उ0.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय,राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिवमुख्य सचिव महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर
5. अतिरिक्त मुख्य सचिवगण, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
5. समस्त, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
5. निबंधक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधीकरण, जयपुर ।
6. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

परिशिष्ठ "क"

पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग / आर्थिक पिछड़ा वर्ग का होने तथा क्रिमीलेयर के न होने का प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों की सूची व अनुदेश

1. सम्भागीय आयुक्त / अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन / शहर) / सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट।
2. उस क्षेत्र का उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट जहाँ उम्मीदवार अथवा उसका परिवार रहता है।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार / नायब तहसीलदार से कम का न हो।

उक्त अधिकारियों में प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग की सूंची सम्बन्धी आदेश की अधिसूचना के समय जाति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आवेदन करने वाले व्यक्ति के स्थाई निवास से सम्बन्धित होना चाहिए अर्थात् एक जिले का राजस्व **अधिकारी किसी दूसरे जिले में रहने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम नहीं है।**

राज्य सरकार के तद्सम्बन्धी अधिसूचना के अधिसूचित किये जाने की तारीख के बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों के मामले में पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग / आर्थिक पिछड़ा वर्ग के माने जाने के प्रयोजन के लिए उनका निवास स्थान उक्त अधिसूचना की तारीख के समय उनके माता-पिता के स्थाई निवास स्थान है, जिनके अधीन वे पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग / आर्थिक पिछड़ा वर्ग का होने का दावा करते है।

परिशिष्ठ 'ख'

प्रमाणित पासपोर्ट साइज
फोटाग्राम

रजिस्ट्रेशन सं.....................   दिनांक

आर्थिक पिछड़ा वर्ग का होने के प्रमाण पत्र का प्रपत्र *

यह प्रमाणित किया जाता है कि ;

1. श्री/श्रीमती/कुमारी________________________पुत्र/पुत्री/पत्नी ____________________राजस्थान राज्य के जिला____________में ग्राम/नगर __________का/की निवासी हैं तथा ये/ और या इनका कुटुम्ब यहॉ स्थाई रूप से निवास करता/करती/करते है।

2. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी________________________ आरक्षण हेतु आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11(164)आर. एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./07/47209 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित मापदण्ड के अनुसार आर्थिक पिछड़ा वर्ग का/की हैं।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर/सील सहित

*((राज्य के आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)